

न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़

मि०न० २५ /अपील/ 19

पप्पूलाल पुत्र रामनारायण जाति दांगी आयु 40 साल नि० हरिपुरा
तहसील झालरापाटन

बनाम

तहसीलदार तहसील झालरापाटन


अपील बनाराजी इन्तकाल न० 253 दिनांक 07.12.2010
प्रशासन गांव के संग केम्प पिपलोद तहसील झालरापाटन।

30/19

अभिभाषक श्री शेलेन्द्र कुमार पोसवाल द्वारा तहसीलदार झालरापाटन के आदेश दिनांक 07.12.2010 जिसके द्वारा ग्राम हरिपुरा मूण्डला तहसील झालरापाटन स्थित आराजी का नामान्तरकरण संख्या 253 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील मेंमें में अंकन किया गया है कि प्रशासन गांव के संग केम्प पिपलोद में ग्राम मूण्डला का फोती इन्तकाल 253 जो दिनांक 07.12.2010 को तहसीलदार झालरापाटन द्वारा तस्दीक किया गया था उसके अपीलान्ट का नाम राधेश्याम कर दिया गया जबकि अपीलान्ट का नाम पप्पूलाल है। नामान्तरकरण संख्या 253 में दर्ज राधेश्याम के स्थान पर पप्पूलाल करने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण शुद्धीकरण (correction of entry) का है व इस तरह के प्रकरणों को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के नियमों में प्रावधान हैं। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय हाजा द्वारा अपीलान्ट को किसी तरह का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। अपील अपीलान्ट को प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है। अभिभाषक अपीलान्ट विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करें। प्रकरण बाद दर्ज रजिस्टर फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।


जिला कलक्टर
झालावाड़